न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–राजगढ़

अपील-0495/2019/राजगढ़/भू०रा०

श्री ...... द्वारा आज दि. 10.4.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.4.19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.4.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

जगन्नाथ सिंह सोलंकी आत्मज श्री नाथूलाल सोलंकी जाति मोगिया (अ0ज0जा0) तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नजूल कार्यालय कलेक्टर राजगढ (वर्तमान में पदच्युत)
वर्तमान निवासी – मकान नं. 80 वार्ड नं. 2 नरेश वाली गली पालीवाल कालोनी सिरोंज जिला – बिदिशा म.प्र.

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – राजगढ

-- प्रत्यर्थी

<u>न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 380/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.03.2019 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।</u>

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1. यहकि, अपीलार्थी की नियुक्ति पटवारी पद पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरोज जिला बिदिशा द्वारा दिनांक 24.05.1997 को की गयी थी। इसके पश्चात् वह दिनांक 27.04.2016 तक अर्थात् 19 वर्ष तक पटवारी पद पर कार्यरत होकर कार्य किया है। अपीलार्थी द्वारा 19 वर्ष निरंतर पटवारी के पद पर निष्ठा एवं लगन से शासकीय कार्य किया है, उसके विरूद्ध कभी भी कोई अनुशानत्मक कार्यवाही अथवा उक्त अवधि में किसी भी लघु या दीर्घ शासकीय से दण्डित नहीं किया गया।

2. यहकि, अपीलार्थी को आयुक्त भू–अभिलेख एवं बदौबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश क्रमांक 22/स्था0/एक/पटवारी/न0क0/293/2016 ग्वालियर द्वारा दिनांक 30.01.2016 को पदोन्नत किया गया है एवं उनके आदेश दिनांक 23.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील–0495/2019/राजगढ़/भू.रा.

जगन्नाथ सिंह आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–06–2019	अपीलार्थी अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर उनको ग्राहयता के बिन्दु पर दिनांक 04–06–2016 को सुना गया। 2/ यह अपील आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 380/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–03–2019 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 10–4–2019 को प्रस्तुत की गई है। 3/ अपीलार्थी अभिभाषक के तर्क श्रवण किये एवं सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष कलेक्टर राजगढ़ के आदेश क्रमांक 6043/विभागीय जांच/2018 में पारित में आदेश दिनांक 10–08–2018 पर मध्यपदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), 1966(जिसे आगे सिविल सेवा नियम कहा गया है) नियम 23 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय को प्रश्नाधीन आदेश संहिता की धारा 44 में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः यह अपील अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। 19.6.19 (आर0के0 जैन) सदस्य	